दिनांक 22.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 40/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, झांसी सेक्टर (विजिलेन्स) के प्रस्तावित भवन के निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास किया गया

श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 के निर्देशन में सतर्कता अधिष्ठान को विभिन्न जनपदों में 09 सेक्टर कार्यालयों हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, झांसी सेक्टर (विजिलेन्स) के कार्यालय भवन के लिए जनपद झांसी में भूमि आवंटित है।

उक्त प्रस्तावित भवन के निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास आज दिनांकः 22.11.2025 को **श्री राजीव कृष्णा,** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 द्वारा किया गया।

इसी क्रम में सतर्कता अधिष्ठान के कानपुर सेक्टर के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा दिनांकः 01.11.2025 को किया जा चुका है।

पुलिस महानिदेशक द्वारा शिलान्यास के दौरान अपने संबोधन में कहा गया कि–

- भवन का निर्माण त्वरित गति से कराया जाये।
- निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ–साथ समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाये।
- भवन निर्माण में सुख सुविधाओं के साथ बिजली, पानी आदि का ध्यान रखा जाये।
- भविष्य में कार्यालय भवन के निकट ही आवासीय सुविधा की व्यवस्था करायी जाये।
- सतर्कता के अन्य सेक्टर के प्रस्तावित कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु अगले वित्तीय वर्ष में बजट का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाये।
- निर्माण कार्य की प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा की जाये।
- पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा निर्माण कार्य के लिये सभी को बधाई दी गयी।

इस अवसर पर श्रीमती मंजिल सैनी, पुलिस महानिरीक्षक विजिलेंस, श्री रामकिशुन पुलिस उपमहानिरीक्षक विजिलेंस सहित सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारी/कर्मचारी एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स उपस्थित रहें। इस दौरान प्रस्तावित निर्माण कार्य से सम्बंधित एक शार्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गयी।

दिनांक 22.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 41/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना अतरौलिया

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **3200 रुपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22.11.2025 को थाना अतरौलिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुखीपुर अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त करीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 3200 रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना अतरौलिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करीम निवासी रफीउल्लाहपुर (रन्नू खां का पुरा) थाना जलालपुर, जनपद अंबेडकरनगर।

बरामदगी

1–3200 रुपये नगद।

2– 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद।

जनपद बाराबंकी/थाना टिकैतनगर

- **10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 मोबाइल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 22.11.2025 को थाना टिकैतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खेतासराय से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अब्दुल कलाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था ।

इस सम्बन्ध में थाना टिकैतनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अब्दुल कलाम निवासी खेतासराय थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1– चोरी का 01 मोबाइल फोन।

2– 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद।

जनपद सहारनपुर/थाना जनकपुरी

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 06 लाख 30 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22.11.2025 को थाना जनकपुरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम खुर्द ढमोला नदी के किनारे चेकिंग के दौरान

संदिग्ध मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मैनपाल 2–इरफान घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर अभियुक्त 3–रविश 4–फिरोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुकतों के कब्जे से लूट के 06 लाख 30 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.11.2025 को थाना जनकपुरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मैनपाल निवासी डोडा कल्याणपुर थाना गंगनहर रूड़की जनपद हरिद्वार।

2–इरफान निवासी समौली थाना दौराला जनपद मेरठ।

3–रविश निवासी कोटा थाना नागल जनपद सहारनपुर।

4–फिरोज निवासी किल्हनपुर थाना गंगनगहर जनपद हरिद्वार।

बरामदगी

1– लूट के 06 लाख 30 हजार रूपये नगद।

2– 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद।

जनपद शामली/थाना कैराना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलो 102 ग्राम अवैध स्मैक**
- **अवैध स्मैक बिक्री के 33 हजार रूपये नगद**

दिनांक 22.11.2025 को थाना कैराना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–गय्यूर 2–नवीन एर्फ धोनी

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलो 102 ग्राम अवैध स्मैक, अवैध स्मैक बिक्री के 33 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गय्यूर निवासी ग्राम गढ़ी बेसक थाना सनौली जनपद पानीपत (हरियाणा)।

2–नवीन एर्फ धोनी निवासी ग्राम गंदाराऊ थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 04 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलो 102 ग्राम अवैध स्मैक।

2–अवैध स्मैक बिक्री के 33 हजार रूपये नगद बरामद।

- **<u>जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–खैराती 2–ओमवीर 3–सुखपाल को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————